सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 24, बुधवार, शाके 1944-मार्च 15, 2023 *Phalguna 24, Wednesday , Saka 1944- March 15, 2023*	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, **मार्च** 15, **20**23

संख्या एफ. 13(13)**विशा/विस/**2023/ :-**राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023** जैसा कि दिनांक **15 मार्च**, 2023 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया**,** सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

महावीर प्रसाद शर्मा**,**
प्रमुख सचिव ।

2023 का विधेयक **सं.13**

राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

अधिवक्ताओं के विरुद्ध हमला, घोर उपहति, आपराधिक बल और आपराधिक अभित्रास के अपराधों और अधिवक्ताओं की संपत्ति के नुकसान या हानि के निवारण और उनसे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम, 2023 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिवक्ता" का वही अर्थ होगा जो इसे अधिवक्ता अधिनियम 1961 (1961 का अधिनियम सं. 25) की धारा 2(1) (क) के अधीन समनुदेशित किया गया है और जो राजस्थान राज्य में विधि व्यवसाय कर रहा है;

(ख) "मुवक्किल" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका किसी न्यायालय या किसी अधिकरण के समक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाये;

(ग) "विरोधी मुवक्किल" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके विरुद्ध अधिवक्ता द्वारा अन्य व्यक्ति के मामले का किसी न्यायालय या किसी अधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व किया जाये; और

(घ) "संपत्ति" से किसी अधिवक्ता के स्वामित्वाधीन या कब्जे में की कोई संपत्ति, जंगम या स्थावर या उपस्कर या मशीनरी अभिप्रेत है।

2. इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 25) और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) में समनुदेशित किया गया है।

3. हमला, घोर उपहति, आपराधिक बल और आपराधिक अभित्रास का प्रतिषेध.- किसी अधिवक्ता के विरुद्ध हमला, घोर उपहति, आपराधिक बल और आपराधिक अभित्रास अपराध होगा:

परन्तु ऐसा कोई हमला, घोर उपहति, आपराधिक बल और आपराधिक अभित्रास, अधिवक्ता के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में न्यायालय परिसर में हो।

4. अधिवक्ता का पुलिस संरक्षण के लिए हकदार होना.- अधिवक्ता द्वारा उसके विरुद्ध किये गये, इस अधिनियम की धारा 3 में वर्णित किसी अपराध के संबंध में की गई किसी रिपोर्ट पर, पुलिस, यदि उचित समझे, ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति से जो नियमों में विहित की जाये, संरक्षण प्रदान कर सकेगी।

5. शास्तियां.- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी-

(1) जो कोई भी धारा 3 के उल्लंघन में किसी अधिवक्ता पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई भी धारा 3 के उल्लंघन में किसी अधिवक्ता के विरुद्ध स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(3) जो कोई भी धारा 3 के उल्लंघन में किसी अधिवक्ता के विरुद्ध स्वेच्छया आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा और यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की, या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की, या मृत्यु दण्ड से अथवा आजीवन कारावास से या सात वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध को कारित करने की है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

6. अपराध का संज्ञेय होना.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कारित प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

7. अपराध का शमनीय होना.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध न्यायालय की अनुज्ञा से व्यथित व्यक्ति द्वारा शमनीय होगा।

8. प्रतिकर.- कोई न्यायालय निर्णय पारित करते समय, जब जुर्माने का दंडादेश या अन्य कोई दंडादेश, जिसका कोई भाग जुर्माना है, अधिरोपित करता है, तब न्यायालय वसूल की गयी जुर्माने की ऐसी रकम अधिवक्ता को प्रतिकर के रूप में संदत्त किये जाने का आदेश कर सकेगा।

9. अधिवक्ता का अभियोजन.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 154 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिवक्ता के विरुद्ध उसके वृत्तिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किये गये किसी कार्य के लिए मुवक्किल या विरोधी मुवक्किल से किसी संज्ञेय अपराध की कोई रिपोर्ट यदि प्राप्त होती है तो उसे ऐसे पुलिस अधिकारी, जो पुलिस उप-अधीक्षक से नीचे की रैंक का न हो, द्वारा कोई जांच, जो अधिकतम सात दिवस के भीतर-भीतर पूर्ण की जायेगी, करने के पश्चात् ही दर्ज की जा सकेगी और यदि कोई मामला दर्ज किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना राजस्थान बार काउंसिल को भेजी जायेगी।

10. क्षतिपूर्ति का संदाय करने का दायित्व.- (1) समुचित मामलों में धारा 5 में विनिर्दिष्ट दण्ड के अतिरिक्त, अपराधी किसी अधिवक्ता की संपत्ति को कारित हानि या नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति, जो न्यायालय द्वारा अवधारित की जाये, का संदाय करने का भी दायी होगा और वह ऐसे अधिवक्ता द्वारा उपगत चिकित्सा व्यय की, जो न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाये, प्रतिपूर्ति करने के लिए भी दायी होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन न्यायालय द्वारा इस प्रकार प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति ऐसे वसूल की जायेगी मानो कि वह भू-राजस्व की बकाया हो।

11. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के दुरुपयोग के लिए दण्ड.- जो कोई भी, अधिवक्ता होते हुए इस अधिनियम के उपबंधों का दुरूपयोग करता है या उनका विद्वेषपूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या शिकायत करता है तो वह ऐसे कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

12. अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना.- इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

13. नियम बनाने की शक्ति.- राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों से संगत नियम बना सकेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह ध्यान में आया है कि राज्य में दिन-प्रतिदिन अधिवक्ताओं के विरुद्ध हिंसा और विधिक वृत्तिकों के विरुद्ध मिथ्या विवक्षाओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप विधि और व्यवस्था की स्थिति का ह्रास और न्याय परिदान प्रणाली में विलंब होता है।

इस प्रकार, अधिवक्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए, अब यह आवश्यक हो गया है कि अधिवक्ताओं के विरुद्ध की ऐसी हिंसा और मिथ्या विवक्षाओं का प्रतिषेध करने के लिए एक प्रभावी अधिनियम का अधिनियमितिकरण करके राजस्थान राज्य के राज्यक्षेत्र में ऐसे अपराधों को संज्ञेय बनाया जाये। इसलिए, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 प्रस्तावित किया जा रहा है।

विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

शान्ती कुमार धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 4, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को ऐसी कालावधि जिसके लिए और वह रीति जिससे, विधेयक के खण्ड 3 में उल्लिखित अपराधों के संबंध में अधिवक्ताओं को पुलिस संरक्षण प्रदान किया जा सकेगा, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 13, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यत: ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

शान्ती कुमार धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

अधिवक्ताओं के विरुद्ध हमला, घोर उपहति, आपराधिक बल और आपराधिक अभित्रास के अपराधों और अधिवक्ताओं की संपत्ति के नुकसान या हानि के निवारण और उनसे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख सचिव।

Bill No. 13 of 2023

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN ADVOCATES PROTECTION BILL, 2023

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to provide for the prevention of the offences of assault, grievous hurt, criminal force and criminal intimidation against the advocates and damage or loss to the property of advocates and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called The Rajasthan Advocates Protection Act, 2023.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.- (1) In this Act unless the context otherwise requires:-

(a) "advocate" shall have the same meaning as assigned to it under section 2(1)(a) of the Advocates Act, 1961 (Central Act No. 25 of 1961) and who is practicing in the State of Rajasthan;

(b) "client" means the person who is represented by the advocate before any Court or any Tribunal;

(c) "opposite client" means the person against whom the advocate has represented the case of other person before any Court or any Tribunal; and

(d) "property" means any property, movable or immovable or equipment or machinery owned by or in possession of any advocate.

(2) Words and expressions used in the Act but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Advocate Act, 1961 (Central Act No.25 of 1961) and the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

3. Prohibition of assault, grievous hurt, criminal force and criminal intimidation.- Any act of assault, grievous hurt, criminal force and criminal intimidation against an advocate shall be an offence:

Provided that any such assault, grievous hurt, criminal force and criminal intimidation shall be in connection with the discharge of duties of the advocate in the court premises.

4. Advocate entitled for police protection.- On any report made to the police by an advocate in respect to any offence mentioned in section 3 of the Act committed against him,

the police may, if deems fit, provide him protection for such period and in such manner as prescribed in the rules.

5. Penalties.- Notwithstanding anything contained in the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860) -

(1) Whoever assaults or uses criminal force against an advocate in contravention of section 3 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years and with fine which may extend to twenty five thousand rupees.

(2) Whoever voluntarily causes grievous hurt to an advocate in contravention of section 3 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and with fine which may extend to fifty thousand rupees.

(3) Whoever voluntarily commits the offence of criminal intimidation against an advocate in contravention of section 3 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years and fine which may extend up to ten thousand rupees and if the threat be to cause death or grievous hurt, or to cause the destruction of any property by fire, or to cause an offence punishable with death or imprisonment for life, or with imprisonment for a term which may extend to seven years, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and with fine which may extend to twenty thousand rupees.

6. Offence to be cognizable.- Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure,1973 (Central Act No. 2 of 1974), every offence committed under this Act shall be cognizable.

7. Offence to be compoundable.- Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure,1973 (Central Act No. 2 of 1974), every offence punishable under this Act shall be compoundable by the aggrieved person with the permission of the Court.

8. Compensation.- When a Court imposes a sentence of fine or any other sentence of which fine forms a part, the Court may, when passing judgment, order such amount of the fine recovered to be paid as compensation to the advocate.

9. Prosecution of an advocate.- Notwithstanding anything contained in section 154 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) or any other law for the time being in force, if a report of cognizable offence is received from the client or opposite client against the advocate for the act done, during discharge of his professional duties, the same may be registered only after an inquiry by the police officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police, which shall be completed within a maximum period of seven days and if a case is registered, a written information of the same be sent to the Bar Council of Rajasthan.

10. Liability to pay damages.- (1) In addition to the punishment specified in section 5, the offender, in appropriate cases, shall also be liable to pay damages for loss or damage caused to the property of an advocate, as may be determined by the Court and he shall also be liable to reimburse the medical expenses incurred by such advocate as may be determined by the Court.

(2) The damages so awarded by the Court under sub-section (1) shall be recovered as if it were arrears of land revenue.

11. Punishment for misuse of provisions contained in this Act.- Whoever, being an advocate misuses the provision of this Act or uses the same for malicious purposes or makes

false complaint under this Act shall be punished with imprisonment which may extend to three years, or with fine or with both.

12. Act not in derogation to any other law.- The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation to the provisions of any other law for the time being in force.

13. Power to make Rules.- The State Government may make rules consistent with the provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It is being observed that act of violence against the advocates and cases of false implications against the legal professionals are being increased in the State day by day which results in deterioration of law and order situations and delay in the justice delivery system.

As such, to save the interest of advocates, it has now become necessary to prohibit such violence and false implications against advocates by enacting effective enactment making the offences cognizable in the territory of Rajasthan State. Therefore, The Rajasthan Advocates Protection Bill, 2023 is being proposed.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

शान्ती कुमार धारीवाल,

Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 4 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules to prescribe the period of time for which and the manner in which Police protection may be provided to the advocates in respect to offences mentioned in Clause 3 of the Bill.

Clause 13 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

शान्ती कुमार धारीवाल,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to provide for the prevention of the offences of assault, grievous hurt, criminal force and criminal intimidation against the advocates and damage or loss to the property of advocates and for matters connected therewith and incidental thereto.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Principal Secretary.

Government Central Press, Jaipur.